प्रेषक,

बासुदेव यादव,
शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0,
निशातगंज, लखनऊ ।

सेवा में,

1–समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

2–समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकःआर0टी0ई0 / शि0नि0(बे0)/12358-625/2012–13 दिनांक 30 जुलाई, 2012

विषयः **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत 'बालक के अधिकार का संरक्षण' हेतु धारा 32 (1) एवं उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अनुच्छेद 25 (2) के अनुसार शिकायतों को दूर करने की व्यवस्था ।**

महोदय / महोदया,

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंध्याय–6 में बालकों के अधिकार के संरक्षण के सम्बन्ध में प्रावधान दिए गये हैं।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 32 (1) मे निम्नवत् व्यवस्था दी गयी है:–

1. धारा 31 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी बालक के अधिकार के सम्बन्ध में कोई शिकायत है, अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी को लिखित में शिकायत कर सकेगा।
2. उपधारा (1) के अधीन शिकायत प्राप्त होने के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी, सम्बन्धित पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् मामले का तीन मास की अवधि के भीतर निपटारा करेगा।
3. स्थानीय प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, यथास्थिति, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग को या धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन विहित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।
4. उपधारा 3 के अधीन की गई अपील का विनिश्चय धारा 31 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन यथा उपबन्धित, यथास्थिति राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग या धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन निहित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

इसी प्रसंग में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में 25–(2) में निम्नवत् व्यवस्था दी गई है:–

25 (2) प्रारम्भिक रूप से कोई शिकायत ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड शिक्षा समिति को उसके सदस्य सचिव के माध्यम से की जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड शिक्षा समिति के विनिश्चय के पश्चात् अपील, यथास्थिति विकास खण्ड स्तरीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी को की जा सकती है। द्वितीय अपील उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा–10 के अधीन ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों के लिए जिला पंचायत को और धारा 10–क के अधीन नगरीय क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों के लिए नगर पालिका को की जा सकती है।

समस्त शिकायतों का अनुश्रवण, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा ऑन लाइन क्रियाविधि के आधार पर पारदर्शी और तत्परतापूर्ण कार्यवाही के माध्यम से किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उल्लिखित बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

- बाल अधिकारों के संरक्षण के सम्बन्ध में कोई शिकायत ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य सचिव, विद्यालय के प्रधानाध्यापक के माध्यम से ग्राम शिक्षा समिति को प्रस्तुत होंगी। सदस्य सचिव प्रधानाध्यापक का यह दायित्व होगा कि ग्राम शिक्षा समिति में शिकायत निराकरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा। शिकायत का निराकरण करके और निर्णय की सूचना अधिकतम तीन माह में सम्बन्धित शिकायतकर्ता को दी जायेगी।
- इसी प्रकार नगर क्षेत्र के संदर्भ में वार्ड शिक्षा समिति को शिकायत सदस्य सचिव, प्रधानाध्यापक के माध्यम से दी जायेगी। वार्ड शिक्षा समिति के प्रधानाध्यापक द्वारा भी निराकरण के उपरान्त निर्णय की सूचना अधिकतम तीन माह में शिकायतकर्ता को दी जायेगी।
- इस प्रकार के प्रथम स्तर पर निराकरण के निर्णय की सूचना से व्यथित शिकायतकर्ता अपील विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी को ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में तथा नगर क्षेत्र के संदर्भ में नगर शिक्षा अधिकारी को की जा सकेगी। इस अपील पर निर्णय की सूचना अधिकतम तीन माह में सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को दी जायेगी।
- प्रथम अपील में दिये गये निर्णय से व्यथित होने पर द्वितीय अपील उ0प्र0 बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा–10 के अधीन ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों के लिए

जिला पंचायत को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अपील की जा सकेगी। और नगर क्षेत्र के मामलों में उ0प्र0 बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा–10 क के अधीन नगर पालिका को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अपील की जा सकेगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जिला पंचायत अध्यक्ष/नगरपालिका के अध्यक्ष को निर्णय प्रस्तुत करेंगे।

- द्वितीय अपील पर निराकरण करते हुए निर्णय अधिकतम तीन माह में अवश्य दे दिया जाए।
- इन शिकायतों के निराकरण हेतु सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद द्वारा ऑनलाइन कियाविधि के आधार पर पारदर्शी ढंग से तत्परतापूर्वक कार्यवाही की जायेगी। सम्पूर्ण प्रदेश की शिकायतों का अनुश्रवण सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद द्वारा किया जायेगा। किन्तु व्यवस्था की दृष्टि से इस कार्य को सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् के मार्गदर्शन में परिषद में कार्यरत संयुक्त सचिव और उपसचिव के मध्य विभाजित करके कराया जायेगा। प्रदेश के आधे–आधे जनपदों का कार्य सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संयुक्त सचिव एवं उपसचिव आबंटित किया जायेगा। उपर्युक्त समस्त कार्यवाही प्रभावपूर्ण रीति से सुनिश्चित कराये जाने का कार्य सचिव,उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(बासुदेव यादव)
शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0सं0:आर0टी0ई0/शि0नि0(बे0)/ 12358-625 /2012–13 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि:–

1-- सचिव, बेसिक शिक्षा, (शिक्षा अनुभाग–5) उ0प्र0 शासन की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2– जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0 ।
3– शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर पदेश।
4– राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0।
5– निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एस0सी0ई0आर0टी0) लखनऊ।
6– अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक/माध्यमिक), शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।